छत्तीसगढ़ लाईवलीहुड कॉलेज सोसाईटी
Chhattisgarh Livelihood College Society

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा में भोजन प्रदाय करने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति

(Expression of Interest)

छत्तीसगढ़- 494449

ई-मेल: livelihoodcollege@gmail.com, वेबसाईट: www.dantewada.gov.in

संपर्क क्रमांकः 07225836876

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथिः 26/06/2018 अपरान्ह 12:00 बजे तक

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा
जिला- दन्तेवाड़ा (छ0ग0)
कलेक्ट्रेट के पीछे, टेकनार चौक से पश्चिम की ओर, दन्तेवाड़ा
ई-मेल: livelihoodcollege@gmail.com, मोबाईल 07225836876

क्रं./88/जि0परि0ला0कॉ0/रू0की0अभि0/प्रशि0/2018-19 दन्तेवाड़ा, दिनांक 04/06/2018

रूचि की अभिव्यक्ति

कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0), जिले के पंजीकृत भोजन प्रदायकर्ता संस्था/महिला स्व0सहायता समूह आदि द्वारा जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा में **"भोजन प्रदाय करने हेतु"** रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। इच्छुक भोजन प्रदायकर्ता संस्था/महिला स्व0सहायता समूह आदि अधिक जानकारी हेतु जिला दन्तेवाड़ा के शासकीय वेबसाईट www.dantewada.nic.in का अवलोकन कर सकते हैं।

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि :-	26/06/2018 अपरान्ह 12:00 बजे तक
रूचि की अभिव्यक्ति खोलने एवं प्रदर्शन की तिथिः-	26/06/2018 अपरान्ह 04:00 बजे

कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छ0ग0

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा
जिला- दन्तेवाड़ा (छ0ग0)
कलेक्ट्रेट के पीछे, टेकनार चौक से पश्चिम की ओर, दन्तेवाड़ा
ई-मेल: livelihoodcollege@gmail.com, मोबाईल :- 07225836876

क्रं./88/जि0परि0ला0कॉ0/रू0की0अभि0/प्रशि0/2018-19 दन्तेवाड़ा, दिनांक 04/06/2018

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा में ''भोजन प्रदाय करने हेतु'' रूचि की अभिव्यक्ति

कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0), जिले के पंजीकृत भोजन प्रदायकर्ता संस्था/महिला स्व0सहायता समूह आदि द्वारा जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा में ''भोजन प्रदाय करने हेतु'' रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।

प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आवासीय प्रशिक्षणार्थियों को भोजन प्रदाय किया जाना है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	दिन	सुबह	दोपहर	रात्रि	रिमार्क
1	सोमवार	पूरी, आलू चना की सूखी सब्जी	चावल, आलू, मटर की (रसवाली) सब्जी, सलाद	चावल, दाल (छिलकेवाली मुंगदाल) हरी सब्जी (पालक, चौलाई, मेथी भाजी या लाल भाजी) (सूखी) (उपलब्धता अनुसार)	
2	मंगलवार	पोहा एवं अचार	चावल, मिक्स दाल फ्राय और चटनी, पापड़	चावल, बेसन कढ़ी, आलू की सूखी सब्जी	
3	बुधवार	भजीया एवं चटनी	चावल, आलू और सोयाअीन बड़ी की रसवाली सब्जी एवं सलाद	चावल, दाल, तुअर और मौसमी सब्जी (लौकी, कद्दू, बैगन या अन्य)	
4	गुरूवार	सूजी का हलवा	चावल, आलू एवं झुरगा की रसवाली सब्जी एवं सलाद	चावल, उड़द दाल एवं मौसमी सब्जी (बरबटी, कटहल, मुनगा आदि)	
5	शुक्रवार	बेड पकौड़ा एवं चटनी	चावल, मिक्स दाल फ्राय एवं अचार पापड़	चावल, दाल, तुअर और मौसमी सब्जी (फूलगोभी, पत्ता गोभी, नवलगोल आदि)	
6	शनिवार	छोले भटूरे	चावल, आलू, प्याज एवं सोयाबीन बड़ी की सब्जी, सलाद	चावल, मसूर दाल एवं मौसमी सब्जी (भिंड़ी करेला, गिलकी, तोराई आदि)	
7	रविवार	परिवर्तन	पूरी, आलू चना की रसवाली सब्जी, खीर एवं सलाद	चावल का पुलाव एवं आचार, पापड़	

टीपः- मीनू में दर्शित हरी सब्जी के स्थान पर स्थानीय मार्केट एवं सीजन के अनुसार उपलब्ध सब्जी का उपयोग छात्र/छात्राओं की रूचि अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है।

प्रस्ताव जमा करने हेतु नियम एवं शर्तेः-

1. जिले के पंजीकृत भोजन प्रदायकर्ता संस्था/महिला स्व0सहायता समूह आदि को बंद लिफाफा में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
2. जिले के पंजीकृत भोजन प्रदायकर्ता संस्था/महिला स्व0सहायता समूह आदि के द्वारा प्रस्ताव एवं वित्तीय दर अलग-अलग बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।
3. लिफाफा ‘‘अ’’ में प्रस्ताव एवं आवश्यक दस्तावेज एवं लिफाफा ‘‘ब’’ में वित्तीय दर प्रस्तुत करना होगा (प्रति प्रशिक्षणार्थी, प्रति थाली दर) से प्रस्तुत करना होगा।
4. लिफाफा ‘‘स’’ में विशेष कार्यक्रम हेतु दर प्रस्तुत करना होगा।
5. लिफाफा ‘‘अ’’,‘‘ब’’ एवं ‘‘स’’ को बंदकर लिफाफा ‘‘द’’ में प्रस्तुत करना होगा।
6. जिले के पंजीकृत भोजन प्रदायकर्ता संस्था/महिला स्व0सहायता समूह आदि पंजीकृत इकाई होनी चाहिए। (आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें)
7. प्रशिक्षणार्थियों को समय पर भोजन एवं गुणवत्ता पूर्ण भोजन उपलब्ध कराने संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिले के पंजीकृत भोजन प्रदायकर्ता संस्था/महिला स्व0सहायता समूह आदि की होगी।
8. जिले के पंजीकृत भोजन प्रदायकर्ता संस्था/महिला स्व0सहायता समूह आदि के बॉयलाज में लिखित रूप में दर्शित होना अनिवार्य है एवं संस्था भोजन प्रदाय करने हेतु अधिकृत होना अनिवार्य है।
9. जिले के पंजीकृत भोजन प्रदायकर्ता संस्था/महिला स्व0सहायता समूह आदि द्वारा भोजन प्रदाय करने का अनुभव अनिवार्य है। (आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें)
10. ‘‘भोजन प्रदायकर्ता’’ जिले के पंजीकृत भोजन प्रदायकर्ता संस्था/महिला स्व0सहायता समूह आदि के पास भोजन बनाने से संबंधित औजार/उपकरण एवं भोजन वितरण हेतु थाली की सह पीने की पानी हेतु स्वच्छ व्यवस्था होना अनिवार्य।
11. जिले के पंजीकृत भोजन प्रदायकर्ता संस्था/महिला स्व0सहायता समूह आदि के पास PAN/TIN/ CGGST/CST पंजीकरण संख्या होना चाहिए।
12. सभी कर सम्मिलित कर के प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति थाली प्रति दिवस के आधारित पर दर प्रस्तुत करना होगा, अतिरिक्त परिवहन या अन्य कोई स्वत्व देय नहीं होगा एवं छात्रावास में भोजन प्रदाय हेतु और आयोजित होने कार्यक्रमों भोजन व्यवस्था हेतु अलग-अलग भोजन प्रदायकर्ता संस्था/महिला स्व0सहायता समूह आदि का चयन किया जा सकता है। पूर्व भोजन प्रदाय करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य।
13. समय-समय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें भोजन की व्यवस्था भी किया जाता है जिस हेतु प्रति थाली दर पृथक से निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य।

क्रमांक	विवरण	प्रति थाली प्रति व्यक्ति	रिमार्क
1	चावल,दाल, रोटी/पूड़ी, सलाद, पापड़, मिक्स वेज, पनीर की सब्जी		आवश्यकतानुसार मैन्यू में परिवर्तन किया जा सकता है।

14. जिले के पंजीकृत भोजन प्रदायकर्ता संस्था/महिला स्व0सहायता समूह आदि के द्वारा प्रस्तुत दर को गठित समिति के द्वारा नेगोशिएसन किया जा सकेगा।
15. प्रस्ताव जमा करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 26/06/2018 अपरान्ह 12:00 बजे तक है।
16. दिनांक 26/06/2018 अपरान्ह 04:00 बजे प्रस्ताव लिफाफे गठित समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें संस्था स्वयं/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
17. जिले के पंजीकृत भोजन प्रदायकर्ता संस्था/महिला स्व0सहायता समूह आदि द्वारा प्रस्तुतिकरण निर्धारित तिथि 26/06/2018 अपरान्ह 12:00 बजे तक किया जाना अनिवार्य है।
18. चयन प्रक्रिया की किसी भी स्तर पर प्रस्ताव को किसी भी कारण से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार कलेक्टर सह-अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा को होगा।
19. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर सह-अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बंधनकारी होगा।

जिले के पंजीकृत भोजन प्रदायकर्ता संस्था/महिला स्व0सहायता समूह आदि अपनी रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना विस्तृत प्रस्ताव, पूर्व अनुभव के दस्तावेज, रसोईया की जानकारी, विस्तृत क्रियान्वयन योजना आदि स्पीड/रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 26/06/2018 तक कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कलेक्ट्रेट के पीछे, टेकनार चौक से पश्चिम की ओर, पो- दन्तेवाड़ा जिला- दन्तेवाड़ा (छ0ग0) पिन- 494449 में जमा कर सकते हैं। लिफाफे में ''जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा में ''भोजन प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्ताव'' में उल्लेख होना आवश्यक है।

कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छ0ग0